

फर्द अहकाम

रघुनाथ

बनाम रमेशचन्द

माम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

जन्म बाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 17/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/11/24	पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता कार्य के लिए उपस्थित। पतावली अधिवक्ता के पास जा सकी। पतावली अधिवक्ता दिनांक 05/12/24 को पेश हो।	
5/12/24		पतावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. ① के अधिवक्ता उपस्थित। शेष की रंजार तलखी हेतु दिनांक 16/12/24 को पतावली पेश हो।	
16/12/24		पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पतावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/12/24 को पेश हो।	
23/12/24		पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पतावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/12/24 को पेश हो।	
26/12/24		पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पतावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/12/24 को पेश हो।	
30/12/24		पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पतावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/1/25 को पेश हो।	
1/1/25		पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>आदेश 9 नियम 13 स्पष्टित धारा 15। सीपीसी मियाद बाहर होने के साथ- साथ धारा 13 सीपीसी से बाधित होने के कारण खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में दस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा। स्थगन स्वतः ही उभावशून्य, सारहीन व औचित्य- त्यहीन हो चुका है। अतएव उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पतावली फैंसल शुमार होकर बाह तकमील लिखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">६</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण</p>	